नकल ततीमा शजरा मौजा लालपुर हदबस्त नं० 158 तहसील हिसार
जिला हिसार साल 1959-60

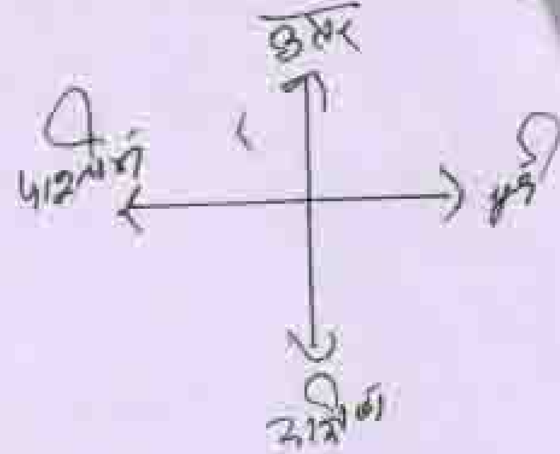

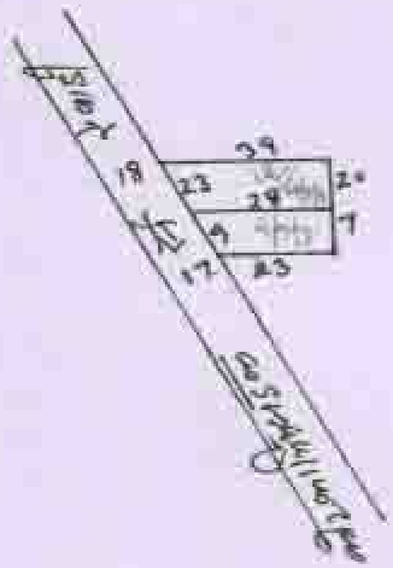

प्रमाण जो,
नकल मुताबिक
अहलकार हल्का ... असल पाई
हल्का पटवारी

गाँव लालपुर [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] 16-May-2016 [illegible] 1379000/- [illegible]		[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]					

20/74 km

10/27 km

20/74

KM 1-0

2-0

Patwari

27/2016

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ... 34/74 [illegible]	3-14 [illegible]			[illegible]	[illegible] ... 27:37 [illegible]	3-14 [illegible]		[illegible] ... 16-May-2016 [illegible]	02/07/2016

BSM
Patwari
27/7/2016

18.07.16

[illegible]

[illegible]														
[illegible] 158				REWARI				REWARI				[illegible] 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

2/2/18

Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 02/02/2018

Certificate No. S0B201885
GRN No. 33443651

Stamp Duty Paid : ₹ 242450
Penalty ₹ 0

Seller / First Party Detail

Name: Ashwani Yadav
H.No/Floor : Na Sector/Ward : Na LandMark : Na
City/Village : Rewari District : Rewari State : Haryana
Phone : 9812128200

Buyer / Second Party Detail

Name : Mahavir Singh
H.No/Floor : Na Sector/Ward : Na LandMark : Na
City/Village : Rewari District : Rewari State : Haryana
Phone : 9907268000

Purpose : Pattanama for Ashwani yadav to Mahavir Singh

किस्म वसीका	पटटानामा जरई मियादी 30 साल
मालयती	1,98,000/–रूपये प्रति माह
स्टाम्प	2,42,450/–रूपये सर्टीफिकेट नं0 S0B201885 जिसका जी आर एन नम्बर 33443651 है।
वाका	लालपुर तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा
रकबा	4 कनाल 14 मरला
सडक से दूरी	सडक के साथ स्थित है। जिसका फैरन्ट (सामने) 32 करम यानि 176 फुट मौजूद है।

मै अशवनी यादव पुत्र श्री महावीर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह निवासी आर 329 माडल टाउन रेवाडी तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा का हूँ।

जो कि आराजी वाका लालपुर तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा जो आराजी मुस्तील नम्बर 18 कीला नम्बर 9/2/1(3–14), 9/2/2(1–0), किता 2 कुल तादादी 4 कनाल 14 मरला सालम का मालिक व काबिज बरूये

लेख नं: 5142 दिनांक 02/02/2018

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE
तहसील/सब-तहसील रिवाड़ी
गांव/शहर [illegible]

धन सबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई 2,693,557.00 रुपये
स्टाम्प ड्यूटी की राशि 242,450.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 15,000.00 रुपये
पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

Drafted By: SSY
Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 02/02/2018 दिन शुक्रवार समय 11:14:00AM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी [illegible] पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी [illegible] निवासी रेवाड़ी द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
रिवाड़ी

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्री [illegible]

उपरोक्त पट्टादेने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी [illegible] पट्टा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी [illegible] पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री [illegible] निवासी [illegible] व श्री/श्रीमती/कुमारी [illegible] पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी [illegible] निवासी [illegible] ने की। साक्षी नं: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते है तथा वह साक्षी नं: 2 की पहचान करता है।

दिनांक 02/02/2018

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
रिवाड़ी

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत प्रलेख की प्रति Jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
रिवाड़ी

फर्द जमाबन्दी साल 2014-2015 व मंजूर शुदा इन्तकाल नम्बर 537 व 538 दिनांक 12-07-2016 का मौजूद हूँ। जो आज तक हर प्रकार के ऋण परिवर्तन व आड आदि के भार से सुरक्षित है। आराजी मजकूरा पर किसी प्रकार का कोई कर्जा किसी बैंक या सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से नही लिया हुआ है। आराजी मजकूर पर किसी अदालत मे कोई मुकदमा जेर तजवीज ना है। आराजी मजकूर एक्वायर शुदा ना है। और ना ही सरपलस आराजी का जुज व हिस्सा है। आराजी मजकूर किसी नीलामी व कुर्की वगैरा मे शामिल ना है। आराजी मजकूर को मैने किसी के पास रहन-बैय- हिबा- पटटा- तबादला या दीगर तरीका से मुन्तकिल ना कि हुई है। आराजी मजकूर को पटटे पर देने की बाबत किसी प्रकार की कोई रूकावट ना है आराजी आज तक हर प्रकार के भार से मुक्त है। सो आज दिन मैने अपने होश व हवाश मे बिना किसी दबाव व बहकाव के अपने आत्मज्ञान तथा प्रसन्नचित से उक्त आराजी तादादी 4 कनाल 14 मरला को आज दिन से अरसा 30 साल तक के लिए यानि दिनांक 02-02-2018 से दिनांक 01-02-2048 तक के लिए मुबलिग 1,98,000/-रूपये प्रति माह के हिसाब से पटटेदार श्री महावीर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह पुत्र श्री हेतराम निवासी मकान नम्बर आर 329 माडल टाउन रेवाडी तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा के पास निम्न शरायत जैल पर किया है:-

1:-यह है कि कुल जरे रकम 1,98,000/-रूपये (एक लाख अठानवे हजार रूपये) हर माह वसुल पाउंगा और माह किराया 1 से 10 तारीख तक चैक द्वारा अदा किया जायेगा

2:-यह है कि कब्जा मौके पर पटटेदार को दे दिया है जैसे चाहे प्रयोग करे, उजर नही होगा। पटटेदार रकबा की चार दीवारी करे, आफिस व लेवर रूम बनवाये, टॉयलेट, बाथरूम बनवाये, पट्रोल पम्प लगाये, सी. एन. जी. पम्प लगाये, जमीन के अन्दर लोहे के टैंक दबाये एवं पम्प लगवाने की बाबत तमाम कार्यवाही करे, जैसे सी. एल. यू. और एन. ओ. सी. आदि कराने की बाबत व गैर ईंधन गतिविधी के लिए पटटाकर्ता हस्ताक्षर करने का पाबन्द रहेगा। इसका कोई अलग से खर्चा नही लेगा और इसकी बाबत कोई उजर व एतराज नही होगा।

पट्टा देने वाला

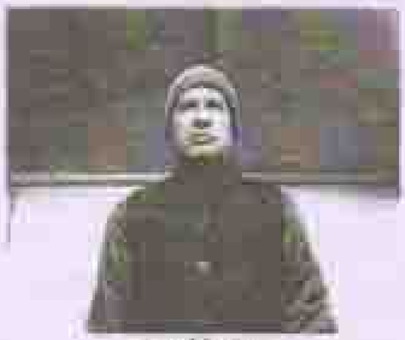

पट्टा लेने वाला

गवाह

पट्टा देने वाला	अश्वनी यादव	
पट्टा लेने वाला	महावीर सिंह	
गवाह	सुभाषचन्द पम्माल	
गवाह	रमेशचन्द	

<u>प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 5,142 आज दिनांक 02/02/2018 को बही नः 1 जिल्द नः 601 के पृष्ठ नः 135 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नः 7,783 के पृष्ठ संख्या 72 से 75 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनांक 02/02/2018

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

[illegible]

3:-यह है कि इन्तकाल कागजात माल मे इन्द्राज करा देगा, वरना पटटेदार खुद करा लेवै, उजर नही होगा।

4:-यह है कि उपरोक्त रकबा मे कोई बिजली खम्बा व तार नही है।

5:-यह है कि यदि जमीन एक्वायर होती है तो पटटाग्रहिता का मुआवजा से कोई लेन देन नही है मुआवजा असल मालिक को ही मिलेगा।

6:-यह है कि उपरोक्त आराजी की बाबत अर्सा 30 साल के बाद इस रकबा से पटटाग्रहिता को किसी प्रकार का कोई ताल्लूक व वास्ता नही होगा और पटटाग्रहिता उपरोक्त आराजी का कब्जा मौके पर पटटाकर्ता को देने का पाबन्द रहेगा।

7:-यह है कि पटटाग्रहिता उपरोक्त आराजी पर किसी प्रकार की कोई तामीरात करता है तो अर्सा 30 साल बाद उपरोक्त तामीरात की बाबत पटटाकर्ता से किसी प्रकार का कोई कलेम नही करेगा।

8:-यह है कि हर पांच साल मे पांच प्रतिशत किराये मे बढोतरी होगी।

अतः यह पटटानामा मियादी 30 साल लिख दिया है कि सनद रहे समय पर काम आवे। तहरीर तारीख 02 फरवरी सन 2018

Drafted By
2/2/18
Satpal Singh Yadav
Advocate Distt. Court
Rewari

पट्टाकर्ताः-　　श्री अशवनी यादव

पट्टा ग्रहिताः-　　श्री महावीर सिंह

गवाहः-सुभाषचन्द नम्बरदार मंवाडी निवासी करनावास जिला रेवाडी

गवाहः-रमेशचन्द पुत्र श्री भरत सिंह निवासी करनावास तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा